29.07.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील ~~अभियोजनकारान~~ उपस्थित। एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की जोताजी है। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः अप्रार्थी सं. 01, 02, 03, 04, 05 व 06 को पाबंद किया जाता है कि मौजा खारोली में स्थित प्रार्थीगण की जोताजी खाता सं 73 ख.सं. 647/365 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि में अतिक्रमण, निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न अन्य किसी व्यक्ति से करावें। प्रार्थीगण को काश्त में रुकावट पैदा न करें। वादग्रस्त भूमि विक्रय या बक्षीस न करें। मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा